महाराजा जयसिंह (1892–1937) के शासनकाल में अलवर राज्य का आधुनिकीकरण

*डॉ. ममता यादव

शोध–आलेख

राजस्थान की प्रमुख रियासतों में अलवर राज्य का इतिहास राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उन्नीसवीं सदी के अंत और बीसवीं सदी के प्रारंभ में जब अधिकांश रियासतें पारंपरिक ढाँचों में बंधी हुई थीं, तब महाराजा जयसिंह ने अपने राज्य को आधुनिक प्रशासनिक और सामाजिक संरचना की ओर अग्रसर किया।

अलवर राज्य की स्थापना अठारहवीं सदी में राव राजा प्रतापसिंह द्वारा की गई थी, जिसने मेवात क्षेत्र में एक स्वतंत्र शक्ति का निर्माण किया।[1] प्रारंभिक शासकों के समय राज्य सैन्य संघर्षों में उलझा रहा, जिससे प्रशासनिक सुधार सीमित रहे। उन्नीसवीं सदी के अंत में राजनीतिक स्थिरता आने के बाद जयसिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक पुनर्गठन संभव हुआ। अलवर दरबार के रिकॉर्ड बताते हैं कि 1895 के बाद विभागीय व्यवस्था स्पष्ट रूप से स्थापित की गई।

प्रशासनिक सुधार

जयसिंह ने शासन को आधुनिक बनाने के लिए विभागीय ढाँचा तैयार किया। राजस्व, न्याय, पुलिस, लोक निर्माण और शिक्षा विभाग अलग किए गए। 1903 तक अलवर रियासत में पाँच कानून बने हुए थे। जयसिंह के समय 100 के करीब नए कानून बनाए गए ताकि राज्य की कानून व्यवस्था अच्छी हो सके।[2] राज्य की सेना व पुलिस को नवीन ढंग से संगठित कर प्रशिक्षित किया गया।[3] अलवर शहर में स्थित कई सैनिक केन्द्र जैसे जय पलटन, मंगल लांसर्स एवं ईटाराणा आज भी अतीत का गौरव बने हुए है। उनके समय की गुप्तचर एवं सैन्य व्यवस्था की प्रशंसा तत्कालीन अंग्रेज वायसराय ने भी की थी। उन्होंने पारंपरिक दरबार प्रणाली को सीमित कर सचिवालय प्रणाली लागू की। सरकारी फाइल प्रणाली और लिखित आदेशों की परंपरा शुरू हुई, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ी।

जयसिंह ने ग्रामीणों की सुविधा के लिए ग्राम पंचायतों की स्थापना की तथा उन्हें दीवानी एवं फौजदारी अधिकार दिए। फौजदारी मुकदमों में पंचायतों को 50 रूपये तक के दंड देने का अधिकार था। पंचायतें 100 रूपये तक के दीवानी दावे सुन सकती थी। नगर प्रशासन में सुधार हेतु अलवर और राजगढ़ में नगरपालिका बोर्ड गठित किए गए। नगर परिषद अलवर के 1915 और 1928 के प्रतिवेदनों से नगर सफाई, प्रकाश व्यवस्था और जलापूर्ति योजनाओं का विस्तार स्पष्ट होता है।

तत्कालीन भारतीय राज्यों में अलवर एकमात्र राज्य था जहाँ न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया। प्रत्येक निजामत का अपना स्वतंत्र न्यायिक अधिकारी होता था। जयसिंह ने दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की तथा ब्रिटिश न्याय प्रणाली के सिद्धांत अपनाए। 1928 में हाईकोर्ट की स्थापना की गई।[4] न्यायालयों

में रिकॉर्ड–रखने की प्रणाली शुरू हुई। अलवर दरबार के न्याय विभाग रिकॉर्ड में अपील व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया का विस्तृत विवरण मिलता है। इससे न्यायिक पारदर्शिता बढ़ी।

शिक्षा का विस्तार

जयसिंह के शासनकाल में शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। सन् 1919 में महाराजा जयसिंह ने राज्य में सभी जातियों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी[5] तथा धार्मिक शिक्षा भी अनिवार्य कर दी गई। 1930 में राज्य में शिक्षा प्रसार हेतु अलवर में राजर्षि कॉलेज आरम्भ कराया गया। महाराजा ने पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस को दो लाख रूपये दिए तथा लाहौर के सनातन कॉलेज को 20 हजार दिए। महाराजा ने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति तथा प्राचीन राजवशों और वर्तमान राजवंशों का अन्वेषण करवाया और सूर्यवंश के इतिहास का गजेटियर तैयार करवाया। महाराजा पढने के बहुत शौकीन थे। उनके द्वारा विजय मंदिर में स्थापित लाइब्रेरी में अनेकों विषय की पुस्तकें थी। वर्तमान में यह लाइब्रेरी देखभाल के अभाव में करीब–करीब समाप्त हो गई। 1923 की "एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ अलवर स्टेट" में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या, छात्रवृत्ति और कन्या शिक्षा के आँकड़े मिलते हैं। शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए छात्रवृतियाँ प्रदान की जाती थी तथा यूरोप में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी दो छात्रवृतियाँ दी जाती थी।[6] इस प्रकार अलवर रियासत का शैक्षणिक स्तर ऊँचा उठाकर उसमें सामाजिक व राजनीतिक चेतना पैदा करने का कार्य अलवर के शासक जयसिंह ने किया।

अलवर में राजकीय हाई स्कूल, संस्कृत विद्यालय और तकनीकी संस्थान स्थापित किए गए। इससे आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में पाठशालाओं की स्थापना से साक्षरता दर में वृद्धि हुई। 1910 से 1935 के बीच विद्यालयों की संख्या दोगुनी हुई।

स्वास्थ्य सेवाओं का विकास

अलवर राज्य में आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था का विकास जयसिंह के शासनकाल की बड़ी उपलब्धि थी। स्वास्थ्य विभाग जो 1911 तक प्रतिनिधि सर्जन के अधीन था, सीधे अलवर राज्य के अधीन लाया गया। इसे भारतीय चिकित्सा सेवा के एक अधिकारी की देखरेख में रखा गया जिसे ब्रिटिश सरकार से उधार लिया था।[7] "स्टेट मेडिकल रिपोर्ट, अलवर (1918 से 1934)" में अस्पतालों, औषधालयों और टीकाकरण अभियानों का उल्लेख मिलता है।

महिला चिकित्सालय और ग्रामीण औषधालयों की स्थापना से जनस्वास्थ्य में सुधार हुआ। महामारी नियंत्रण के उपाय भी अपनाए गए। पाँच लाख की कीमत से निर्मित अलेक्जेण्डर हॉस्पिटल राजपूताने के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक था।

कृषि और आर्थिक सुधार

अलवर की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। जयसिंह ने राज्य में अनेक जलाशय एवं बाँध बनवाये जिनमें जयसमंद, प्रेम सिन्धु, मंगलसर, मानसरोवर और हंससरोवर आदि प्रमुख है। "रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, अलवर (1925)" में भूमि मापन, लगान सुधार और सिंचाई योजनाओं का उल्लेख मिलता है।

किसानों को ऋण सुविधा और सूखा राहत योजनाएँ दी गईं। इससे कृषि उत्पादन बढ़ा। सुअरों से फसल की रक्षा करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया और कृषकों को इन सुअरों को मारने की अनुमति दे दी।[8] स्थानीय उद्योगों को संरक्षण देकर व्यापार को बढ़ावा दिया गया। रेल और सड़क संपर्क ने बाजारों का विस्तार

किया। राज्य में तेल मिले, आटा मिले, कपास, कताई–बुनाई के काम–धंधे फल–फूल रहे थे। संगमरमर उद्योग के लिए भी अलवर जाना जाता था।

जयसिंह ने सड़क निर्माण और डाक सेवा को विकसित किया। अलवर नगर में जल आपूर्ति और बिजली व्यवस्था शुरू हुई। नगर विस्तार और बाजार नियोजन से शहरी जीवन बेहतर हुआ।

सांस्कृतिक और स्थापत्य योगदान

जयसिंह ने सांस्कृतिक संरक्षण को भी महत्व दिया। मंदिरों, भवनों और सार्वजनिक स्थलों का निर्माण कराया। जयसिह शिल्पशास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने देश विदेश से भवनों के नक्शे मंगवाये और सुन्दर भवनों का निर्माण करवाया। उनके द्वारा निर्मित विजयमंदिर पैलेस, इटाराणा महल, सरिस्का पैलेस, जयविलास, कोठी माउन्ट आबू, संग्रहालय के वर्तमान कला आदि ऐसे शिल्प के नमूने है जिनके कारण प्राचीन महल फिके दिखाई देते है। इसके अलावा मोती डूंगरी पर एक नये महल का निर्माण अपनी जनता को अकालराहत में काम दिलाने के लिए करवाया। जयसिंह ने 1908 में अध्यादेश जारी करके हिंदी को राजकीय भाषा घोषित कर दिया।[9] समस्त राज्य कार्यालयों में उर्दू एवं फारसी को हटाकर हिंदी को स्थान दिया। उनके शासनकाल में मूलचंद, उदयराम, रामप्रसाद, कन्हैयालाल आदि अनेक चित्रकार थे जिनकी कृतियाँ आज भी संग्रहालय की कलानिधि के रूप में संग्रहीत है। संगीत के क्षेत्र में भी जयसिह ने विशेष रूचि दिखाई। उनके समय के वाद्ययंत्र आज भी संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। जयसिह को चमडे से परहेज था इसलिए तबले, ढोलक ढप्प, मृदंग आदि वाद्ययंत्रों पर चमडे के स्थान पर कपडे का सफल प्रयोग किया गया। उनके शासनकाल में ध्रुपद सम्राट अलाबन्दे खां गुणीजनखाने में सर्वोच्च पद पर थे जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में अलवर राज्य को उच्च स्थान दिलवाया था।

सामाजिक सुधार

जयसिंह ने सामाजिक क्षेत्र में अनेक कानून बनाकर सामाजिक सुधार एवं जागृति लाने का प्रयास किया। जयसिंह ने नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देते हुए बालविवाह व वृद्धविवाह पर पाबंदी लगा दी। लड़कियों के विवाह की उम्र 12 साल और लड़कों की 18 वर्ष की गई। जयसिंह ने भारत सरकार के शारदा एक्ट बनाने से पहले ही बालविवाह पर रोक लगा दी थी।[10] इससे उनकी दूरदर्शिता व प्रगतिशीलता का पता चलता है। उन्होनें समाज में मादक पदार्थों पर पाबंदी लगा दी।[11] समाज में शांति स्थापित रखने के उद्देश्य से जयसिंह ने अलवर राज्य कन्वर्जन एक्ट बनवाया। महाराजा ने मृत्यु भोज पर भी रोक लगा दी। उन्होने राज्य में धूम्रपान निषेध किया। इसी प्रकार राज्य में डालडा घी एवं चीनी पर पूर्ण प्रतिबंध था। यह सब महाराजा ने प्रजा के स्वास्थ्य हित हेतु किया था। इसके अतिरिक्त Animal Cruelty Act राज्य में लागू किया जो अलवर के अलावा किसी भी राज्य में नहीं था। जयसिंह ने महिला शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। बालविवाह और पर्दा प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाए गए। उन्होंने पुस्तकालय और सांस्कृतिक संस्थाएँ स्थापित कर सामाजिक चेतना को बढ़ाया। उनके समय जेल में कैदियों को धार्मिक शिक्षा दी जाती थी जिससे उनका मानसिक विकास हो सके।

महाराजा जयसिंह में राष्ट्रीयता कूट–कूट कर भरी हुई थी। महाराजा भारत के समस्त राजा–महाराजाओं के संगठन 'नरेंद्र मंडल' के अध्यक्ष थे। उन्होनें भारत की ओर से तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जिसमें उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के प्रकरण को प्रभावशाली ढंग से रखने का कार्य किया।[12] राष्ट्र के प्रति प्रेम के कारण ही जयसिंह को अंग्रेजी प्रशासन का कोपभाजन बनना पड़ा था।

कुछ इतिहासकारों का मत है कि ये सुधार मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी बनी रही। ब्रिटिश प्रभाव के कारण कुछ नीतियाँ स्थानीय परंपराओं से मेल नहीं खाती थीं।

स्पष्ट है कि महाराजा जयसिंह ने अलवर को आधुनिक प्रशासन, शिक्षा और सामाजिक सुधारों की दिशा में अग्रसर किया। उनके प्रयासों से अलवर राज्य एक संगठित और प्रगतिशील रियासत बना। उनके समय अलवर राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ। इस प्रकार जयसिंह को "आधुनिक अलवर का निर्माता" कहना ऐतिहासिक रूप से उचित है।

***सहायक आचार्य**
इतिहास व भारतीय संस्कृति विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

संदर्भ

1 गोयल, हरिशंकर (स.), गति, मासिक पत्रिका (संयुक्तांक सितम्बर–अक्टूबर) सनप्रिन्ट्स, अलवर, 2009, पृ. 8

2 राजस्थान राज्य अभिलेखागार अलवर, फा. नं. ए 29, पृ. 4

3 गुप्ता, मोहनलाल, जयपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, पृ. 134

4 मायाराम, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर अलवर, भारती प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर, 1968, पृ. 412

5 राजस्थान राज्य अभिलेखागार अलवर, फा. नं. ए 29, पृ. 7

6 वही

7 स्मारिका, राजर्षि महाराजा सवाई जयसिंह स्मृति संस्थान, अलवर, 19 मई 1987, पृ. 16

8 गहलोत, जगदीशसिंह, कछवाहों का इतिहास, यूनिक ट्रेडर्स, जयपुर, 2022, पृ. 283

9 कौल, राजकुमारी, राजस्थान के राजघरानों की हिन्दी सेवा, अनुपम प्रकाशन, जयपुर, 1968, पृ. 223

10 शर्मा, योगेश चन्द्र, राजर्षि अलवरेन्द्र, अलवर, 2015, पृ. 12

11 एचीसन, सी.यू., ए कनेक्शन ऑफ ट्रीटीज एंगेजमेंटस एण्ड जिल्द 111, पृ. 409

12 नरूका, पृथ्वी सिंह, अलवर का इतिहास, शिप्रा कम्प्यूटर्स, अलवर, 2022, पृ. 288